

COVID-19

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा: कर्मचारियों के लिए जानकारी

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मॉडल कानूनों के तहत, आपके नियोक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वे कार्यक्षेत्र पर अपने कर्मचारियों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की देखरेख करें।

कर्मचारियों को क्या करने की आवश्यकता है?

आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने खुद के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की यथोचित रूप से देखरेख करें, और अन्य लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें।

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप COVID-19 पर प्रतिक्रिया करने के तौर पर आपके नियोक्ता द्वारा स्थापित यथोचित नीतियों या निर्देशों का अनुपालन करें। इसमें यदि आप किसी अन्य स्थान से काम कर रहे/रही हैं, तो वह भी शामिल है, जैसे कि वर्किंग फ्रॉम होम (घर से काम करना)।

नियोक्ताओं को क्या करने की आवश्यकता है?

आपके नियोक्ता के लिए यह ज़रूरी है कि वे COVID-19 वायरस के संपर्क से कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को पेश आने वाले खतरों की पहचान करें, और जहाँ संभव हो, उचित नियंत्रक लागू करें। उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे सरकारी निर्देशों की पालना करें, जिसमें उचित [शारीरिक दूरी \(physical distancing\)](#) लागू करना शामिल है – कार्यक्षेत्र में हर किसी को कम से कम 1.5 मीटर की शारीरिक दूरी पर रखें।

COVID-19 वायरस से होने वाले खतरे शारीरिक या मनोसामाजिक हो सकते हैं।

COVID-19 के संपर्क से होने वाले खतरे का प्रबंध करने के लिए आपका नियोक्ता क्या कर सकता है, यह आपके कार्यस्थल और आपके द्वारा किए जाने वाले काम पर निर्भर करेगा। आपके नियोक्ता को आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं।

हो सकता है कि वे:

- लोगों के बीच करीबी संपर्क से बचने के लिए उपाय स्थापित करें – कार्यस्थल में हर किसी को शारीरिक तौर पर कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर रखें।
- स्वच्छता की उचित सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके कार्यस्थल में हर किसी को [अच्छी स्वच्छता \(good hygiene\)](#) को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि कर्मचारी कम से कम 20 सैकेंड के लिए साबुन और पानी के साथ अपने हाथ धोने में सक्षम हो सकें, या एल्कोहल-आधारित हैंड सैनीटाइज़र का प्रयोग कर सकें
- निजी सुरक्षात्मक सामग्री (personal protective equipment) तक पहुँच प्राप्त करें
- कार्यस्थल में साफ-सफाई का काम बढ़ाएँ
- अन्य लोगों की कार्यस्थल तक पहुँच को सीमित करें

- आपको किसी अन्य स्थान से काम करने का निर्देश दें, जैसे कि आपका घर – हो सकता है कि इससे कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के खतरों में परिवर्तन हो, उनमें परिवर्तन हो या इनका निर्माण हो

यदि मुझे लगता है कि मैं COVID-19 से ग्रस्त हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

आपको:

- [चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए \(seek medical advice\)](#)
- काम पर नहीं जाना चाहिए
- जितनी जल्दी संभव हो सके अपने नियोक्ता को बताना चाहिए और यदि आपकी स्थिति बदलती है तो उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए, उदाहरणतः यदि यह पुष्टि होती है आप वायरस से ग्रस्त हैं

यदि काम करना असुरक्षित हो तो क्या मैं काम करना बंद कर सकता/सकती हूँ?

यदि आपको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएँ हैं, तो अपने नियोक्ता या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि (Health and Safety Representative - HSR) से बात करें।

कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों को असुरक्षित रूप से काम करना बंद करने या मना करने का अधिकार होता है। यदि यह यथोचित चिंता हो कि आपको एक तात्कालिक या आसन्न जोखिम से आपके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा होने की संभावना हो सकती है – इसमें COVID-19 वायरस के संपर्क में आने का खतरा शामिल है, तो आपके पास यह अधिकार होता है।

यदि आप इसलिए काम करना बंद कर देते/देती हैं क्योंकि काम करना असुरक्षित है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी संभव हो अपने नियोक्ता को बताएँ। इसके बाद आप उचित वैकल्पिक काम करने के लिए भी तैयार होने चाहिए, जैसे कि घर से काम करना।

और अधिक जानकारी

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी के लिए, [Safe Work Australia की वेबसाइट](#) देखें

अपने अवकाश एवं वेतन संबंधी जानकारी के लिए, [Fair Work Ombudsman](#) देखें

स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए, [health.gov.au](#) देखें

कृपया ध्यान दें कि WHS के मॉडल कानून विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी सभी अधिकार-क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। आपके काम करने के स्थान से सम्बन्धित विशिष्ट जानकारी के लिए, कृपया प्रासंगिक [अपने राज्य या टेरिटरी के WHS विनियामक \(WHS regulator in your state or territory\)](#) से संपर्क करें।